जीसीएमएस नं. 2026/56

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 14/2026

1. राज्य सरकार जरिये पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह, निवासी वार्ड न. 12, मकान नंबर 912, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. स्पाईसी सागा, रिद्धि सिद्धि–प्रथम मार्केट, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 07.8 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी रमनदीप सिंह, स्वयं।

दिनांक: 17.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार मध्य–पूर्व एशिया संकट के तहत एलपीजी आपूर्ति के क्रम में अवैध भंडारण, कालाबाजारी की शिकायत की जांच हेतु पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी गठित जांच कमेटी के साथ दिनांक 20.03.2026 को रिद्धि सिद्धि–प्रथम, मार्केट में स्थित स्पाईसी सागा पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह, निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त होटल का मालिक बताया। श्री रमनदीप सिंह की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर गैस सिलेण्डर का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर उक्त होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डरों में से 1 इण्डेन व 1 एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** की उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री राजेश पुत्र श्री जगदीशराय, जाति वर्मा, निवासी 18 जीजी, श्रीगंगानगर, कार्यकर्ता गगन एचपी गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी स्पाईसी सागा में मैनेजर का काम करता है, प्रार्थी के संस्थान से जब्त किए गए सिलेण्डर का प्रयोग धर पर प्रयोग करने हेतु केवल मात्र संस्थान पर भरवाने के लिए रखे हुए थे। प्रार्थी को नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण यह त्रुटि हुई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का आज ही नरमी का रूख अपनाते हुए निस्तारण किया जाए। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी गठित जांच कमेटी के साथ दिनांक 20.03.2026 को रिद्धि सिद्धि–प्रथम, मार्केट में स्थित स्पाईसी सागा पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह, निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त होटल का मालिक बताया। श्री रमनदीप सिंह की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। होटल की जांच में पाया गया कि होटल पर गैस सिलेण्डर का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर उक्त होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डरों में से 1 इण्डेन व 1 एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** की उक्त होटल में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री राजेश पुत्र श्री जगदीशराय, जाति वर्मा, निवासी 18 जीजी, श्रीगंगानगर, कार्यकर्ता गगन एचपी गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **रमनदीप सिंह पुत्र श्री कमलजीत सिंह** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner